रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No D.L. 33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 1993/माघ 21, 1914
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 1993/MAGHA 21, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1993

का.आ. 97(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) के आदेश संख्या का.आ. 479(अ) दिनांक 29 जून, 1992 का निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त आदेश के नीचे की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	प्रपुंज औषध का नाम	अधिकतम कीमत (रु. प्रति किग्रा.)
1	2	3
"1.	विटामिन "सी" सादा	462.00
2.	विटामिन "सी" लेपित	463 00
3.	सोडियम एस्कार्बेट	479.00"

[सं 25(62)/88-पीआई-1/खण्ड-2]

विनय कोहली, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3 (ii) तारीख 14-9-1989 में भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं. का आ. 733(अ) दिनांक 14-9-1989 के रूप में प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उसका संशोधन किया गया था:—

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खण्ड 3(ii) में प्रकाशित क्रमश सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 129(अ) दिनांक 9-2-1990, का.आ 1(अ) दिनांक 2-1-1991, का.आ. 517(अ) दिनांक 14-8-1991, का.आ. 64(अ) दिनांक 21-1-1991, का.आ. 274(अ) दिनाक 9-4-1992 और सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 479(अ) दिनांक 29-6-1992।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 9th February, 1993

S.O. 97(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes the following amendment in the order of Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 479 (E) dated, the 29th June, 1992.

For the Table below the said order, the following Table shall be substituted namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Bulk Drug	Maximum Price (Rs. per Kg)
1	2	3
"1.	Vitamin 'C' Plain	462.00
2.	Vitamin 'C' Coated	463.00
3.	Sodium Ascorbate	479.00"

[No. 25(62)/88-PI.I/Vol. II]

VINAY KOHLI, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated, the 14th September, 1989 vide Government of India, Ministry of Industry (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 733(E) dated 14-9-1989 and was subsequently amended by:— Government Notification No. S.O.129(E) dated 9-2-1990, S.O.1(E) dated 2-1-1991, S.O.517(E) dated 14-8-1991, S.O.64(E) dated 21-1-1991, S.O.274(E) dated 9-4-1992 and by Government Notification No. S.O.479(E) dated 29-6-1992, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii) respectively.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993